छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक / 14वें वित्त / पंचा. / पंग्राविवि / 2018 / 439 अटल नगर, दिनांक 10 / 09 / 2018

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर**
   छत्तीसगढ़।
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकरी,**
   जिला पंचायत–छत्तीसगढ़।

विषय :– **ग्राम पंचायत विकास योजना "सबका योजना–सबका विकास" के अंतर्गत प्रशिक्षण के संबंध में।**

संदर्भ– **भारत सरकार के पत्र कमांक D.O. No.14016/02/2018-PC दिनांक 13 अगस्त 2018.**

★★★

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत "सबका
जीपीडीपी निर्माण हेतु दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक
योजना–सबका विकास" अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में पूर्व वर्ष की भॉति
'ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान' (जीपीडीपी) का निर्माण ग्राम सभा द्वारा सभी वर्ग समूहों,
जनप्रतिनिधि, विभागों के मैदानी अमले व स्वसहायता समूहो के सदस्यो सहयोग से किया जाना
है।इस हेतु राज्य, जिला, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए
फैसीलेटेटर की नियुक्ति की जा रही है। सभी नोडल अधिकारी, फैसीलेटेटर (ग्राम पंचायत
सचिव / रोजगार सहायक) सभी विभागो के नोडल अधिकारी व उनके मैदानी अमले जीपीडीपी
निर्माण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना है।

अतएव उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019–20 की "सबकी योजना–सबका विकास"के अंतर्गत GPDP निर्माण के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. "सबका योजना–सबका विकास"के अंतर्गत (GPDP) तैयार करने हेतु प्रशिक्षण जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जावे।
2. ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं प्रशिक्षण संस्थान TPSIPRD निमोरा, में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक जिलें से 6 से 8 मास्टर ट्रेनर्स (जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, एवं जनपद पंचायत संकाय सदस्य + छह, अन्य विभाग के मैदानी अमले का चयन कर सूची 15 सितम्बर 2018 तथा TPSIPRD निमोरा को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाये।
3. जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम पंचायत सचिव / रोजगार सहायक (फैसीलेटेटर) का प्रशिक्षण जिला पंचायत संसाधन केन्द्र / जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र में दिया जाएगा।
4. सक्रिय स्व सहायता समूह के सदस्य व स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य विभागों के मैदानी अमलों का प्रशिक्षण भी जिला पंचायत संसाधन केन्द्र / जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5. जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स एवं ग्राम पंचायत के फैसलिटेटर तथा लाईन विभाग के स्त्रोत व्यक्तियों की सूची gpdp.nic.in पोर्टल पर दिनांक 12.09.2018 तक अनिवार्यतः उपलब्ध अपलोड किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार समय–सीमा में कार्यवाही करते हुये मास्टर ट्रेनर्स एवं फैसलिटेटर का प्रशिक्षण आयोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

10/09/18

(पी.सी. मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / 14वें वित्त / पंचा. / पंग्राविवि / 2018 / 440 अटल नगर, दिनांक 10 / 09 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, मनरेगा, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. समस्त उपसंचालक, पंचायत जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

:user/d/document/GPDP/Latter For Training

Scanned by CamScanner